

## उत्तरांचल शासन

### वित्त अनुभाग-5

#### अधिसूचना

12 अप्रैल, 2005 ई०

संख्या 131/xxvii(5)/स्टाम्प (1/स्टा0/05)/2005-उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) समय-समय यथासंशोधित की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत अपनी पत्नी के नाम भूमि स्वामित्व अन्तरण या संयुक्त रूप से अपनी पत्नी का नाम जोड़े जाने हेतु भूमि के स्वामित्व अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

इन्दु कुमार पाण्डे,  
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 131/xxvii(5)/Stamp (01/St./05)/2005, dated April 12, 2005.

#### NOTIFICATION

April 12, 2005

**No. 131/xxvii(5)/Stamp (01/St./05)/2005**--In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899), as amended from time to time as applicable in Uttaranchal, the Governor is pleased to remit with immediate effect the stamp duty chargeable by the State Government in case of transfer of title of land to wife or adding the name of wife as co-title holder to a land under the Valmiki Ambedkar Awas Yojana.

By Order,

INDU KUMAR PANDE,  
Pramukh Sachiv.

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 14-05-2005, भाग-1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 12 वित्त/187-24-05-2005-200 (कम्प्यूटर/रोजियो)।